5. महानिदेशक मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष होंगे।

6. मूल्यांकन समिति के सदस्य ये होंगे--अध्यक्ष, तीन गैर सरकारी व्यक्ति, संबंधित उप महानिदेशक, उप महानिदेशक (आदेशित कार्यक्रम) और अपर महानिदेशक (प्रशासन)।

7. मूल्यांकन समिति कड़ियों की संख्या और कड़ियों की अवधि और निर्माण लागत का निर्णय करेगी।

8. आवेदक उस दी गई राशि की बैंक गारंटी देगा।

9. भुगतान निम्नलिखित अनुसार किया जाएगा :-

(1) करार पर हस्ताक्षर किए जाने और बैंक गारंटी दिए जाने के बाद कुल लागत का 10 प्रतिशत।

(2) रफ अंशों के अनुमोदन के बाद कुल लागत का 50 प्रतिशत।

(3) अंतिम प्रिंटों की सुपुर्दगी और अनुमोदन के समय कुल लागत का 20 प्रतिशत।

(4) नेगेटिव, साउंड ट्रेक, फोटोग्राफ, आलेख की प्रतियां आदि प्रस्तुत करने की औपचारिकताएं पूरी होने पर कुल लागत का 20 प्रतिशत।

उपर्युक्त समय अनुसूची के अनुसार भुगतान की रकम जारी करते समय दूरदर्शन द्वारा 2 प्रतिशत के हिसाब से आयकर की रकम स्रोत पर काट ली जाएगी।

10. निर्माता को दूरदर्शन द्वारा निर्धारित समय सीमा का अनुपालन करना होगा, ऐसा न करने पर दूरदर्शन बैंक गारंटी का सहारा ले सकता है।

11. मूल्यांकन समिति कार्यक्रम के रफ अंशों का पूर्वावलोकन करेगी।

12. किसी विवाद अथवा असहमति की स्थिति में सूचना और प्रसारण सचिव एकमात्र मध्यस्थ होंगे।

13. कार्यक्रम सौंपने के लिए दूरदर्शन निर्माताओं के पूर्व रिकार्ड के आधार पर पैनल बना सकता है।

हिन्दी फिल्मों में से निकाले गए अश्लील अंश

2419. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 के वर्ष के दौरान फिल्म सेंसर बोर्ड ने कौन-कौन सी हिन्दी फिल्मों से अश्लील अंशों को निकाला था; और

(ख) क्या फिल्म सेंसर बोर्ड ने किसी फिल्म को अश्लीलता के कारण प्रमाणपत्र देना रोक दिया था; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) और उसके अन्तर्गत जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार भारत में, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाने वाली सभी फिल्मों की जांच केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा की जानी होती है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, प्रमाणीकरण के लिए फिल्मों की जांच करते समय, बोर्ड को अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुनिश्चित करना होता है कि अशिष्टता, अश्लीलता और भ्रष्टता के कारण मानवीय संवेदनशीलता को किसी प्रकार की ठेस न पहुंचे। बोर्ड के आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं। फिल्मों से अश्लील अंशों को निकाले जाने के विशिष्ट कारणों के बारे में एकीकृत रूप से सूचना नहीं रखी जाती। वर्ष 1991 के दौरान जिन हिन्दी फीचर फिल्मों में से अश्लील दृश्य निकालने के बाद मंजूरी प्रदान की गई, उनके नाम विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 1991 के दौरान जिन हिन्दी फीचर फिल्मों को विभिन्न कारणों से प्रमाणपत्र देने से इंकार किया गया, उनके नाम विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण-1

उन हिन्दी फीचर फिल्मों के नाम (वीडियो से इतर फार्मेटों में) जिन्हें 1991 के दौरान विभिन्न कारणों से कांटछांट के पश्चात् प्रमाणपत्र दिया गया।

1. प्यार का देवता
2. फरिश्ते
3. मीत मेरे मन के
4. सौगंध
5. घर-परिवार
6. वाल्मिकी
7. नम्बरी आदमी
8. विष्णु देवा
9. योद्धा
10. खून का कर्ज
11. शिकारी
12. पक्का बदमाश
13. जान की कसम
14. गुनहगार कौन
15. दुश्मन देवता
16. पाप की आंधी
17. भेड़ियों का समूह
18. अफसाना प्यार का
19. कर्ज चुकाना है
20. आई मिलन की रात
21. रामवती
22. दो मतवाले
23. जीवन दाता
24. प्रतिज्ञाबद्ध
25. कसम वली की
26. नाचनेवाले गानेवाले
27. तकदीर के रंग
28. भाभी
29. स्वर्ग यहां नरक यहां
30. प्रतिकार
31. सौदागर
32. रणभूमि
33. पापा आये खुशियां लाये
34. डान्सर
35. शंकरा
36. वह सुबह कभी तो आयेगी
37. फर्स्ट लव लेटर
38. नसीबवाला
39. गोरी
40. अकेला
41. लव
42. सौ करोड़
43. झूठी शान
44. इन्साफ की देवी
45. इंदिरा
46. सैयां के गांव में
47. कल की बातें
48. खुदाई
49. सांसों की सरगम
50. महा छठी पूजा
51. नाच गोविंदा नाच
52. स्वामी अय्यप्पा
53. बहारों की मंजिल
54. इन्सपेक्टर धनुष
55. दीवाने
56. नया जहर
57. मजबूर लड़की
58. आखरी चीख
59. आज का सैमसन
60. रूहानी ताकत
61. हमने प्यार किया
62. हफ्ता बंद
63. खूनी पंजा
64. जिस्म और जान
65. मीना बाजार
66. 100 दिन

67. इज्जत
68. टेस्ट-ट्यूब बेबी
69. त्रिनेत्र
70. विषकन्या
71. कौन करे कुर्बानी
72. वासना
73. जंगल ब्यूटी
74. साथी
75. पिताम्बर
76. कोहराम
77. मिलन की आग
78. गंगा जमुना की ललकार
79. जंगल क्वीन
80. फूल और कांटे
81. बेनाम रिश्ते
82. सड़क
83. मेरी जानेमन
84. नामचीन
85. लक्ष्मण रेखा
86. मोहब्बत का नशा
87. हवाई धमाका
88. पाप पेट का
89. अंधेरी रात
90. हुस्न का बाजार
91. विवाहित जीवन
92. तू मेरी मैं तेरा
93. बदन
94. डाकू मुन्नी बाई
95. एक नादान लड़की
96. मुद्दत की प्यास
97. कुंवारी दुल्हन
98. लूट गई लैला
99. खूनी हवस
100. जवां दिलों की रानी
101. जूली डान्सर
102. कमसिन कली
103. जवानी बनी दिवानी
104. यह प्यास कब बुझेगी
105. जिया बेकरार है
106. खतरा
107. जख्मी हसीना
108. मस्तकलन्दर
109. फतेह
110. अंधा सच
111. कुर्बानी रंग लायेगी
112. कुर्बान
113. नरसिम्हा
114. शिवराम
115. धर्म संकट
116. इन्द्रजीत
117. अजूबा कुदरत का
118. यारा दिल दारा
119. दस्तूर
120. प्यार का साया
121. कर्मयोद्धा
122. मां
123. बेनाम बादशाह
124. औरत और परिन्दा

विवरण–2

उन हिन्दी फीचर फिल्मों के नाम (वीडियो से इतर फार्मेटों में) जिन्हें 1991 के दौरान प्रमाणपत्र नहीं दिया गया ।

1. कृष्ण भक्त हरिदास ठाकुर
2. मौत का साया
3. खूनी पंजा (संशोधित)
4. मिलन की आग
5. वासना (संशोधित)
6. पिताम्बर
7. सांसों की सरगम
8. महा छठी पूजा
9. पहली भूल
10. अंग लगा ले
11. जिया बेकरार है
12. जंगल की चांदनी